

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2019/641

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 01.4.19

प्रार्थनी
1 माडुदेवी पत्नी
बीजाराम जाति जाट
निवासी माडपुरा सानी,
कवास तहसील व
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मोटाराम 2 मालाराम पिसरान खुमाराम 3 मगाराम पुत्र
पीराराम 4 आसुदेवी पत्नी पीराराम जाति जाट 5 पोकरराम
पुत्र बीजाराम 6 चिमनाराम पुत्र हरीराम 7 रामाराम 8
नारणाराम पिसरान गिरधारीराम 9 धनी पत्नी गिरधारीराम
जाति ब्राह्मण निवासी माडपुरा सानी, कवास तहसील व
जिला बाड़मेर 10 कुशलाराम पुत्र हरीराम 11 तोलाराम पुत्र
गिरधारीराम 12 राजेश 13 विनोद 14 सुरेश पिसरान
मोतीराम 15 आसी पत्नी मोतीराम 16 मिश्रीमल पुत्र
रावताराम जाति ब्राह्मण निवासी मालाणीवास, नोखमंडी
बीकानेर 17 माणकाराम पुत्र हरीराम 18 सुगनाराम पुत्र
रावताराम जाति ब्राह्मण निवासी पुरानी आबादी टावर के
पास गांधी बस्ती गंगानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 12/2019

आदेश

दिनांक- 27.03.2019

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा काउ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या 756/360 रकबा 41.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व
पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा
मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 01.4.19

क्रमांक :- रीडर/2019/642-45

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. माडुदेवी पत्नी बीजाराम जाति जाट निवासी माडपुरा सानी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मोटाराम पुत्र खुमाराम वगैराह जाति जाट निवासी माडपुरा सानी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर